बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

Choubatia Construction Pvt. Ltd (Reg No. 1230364)At- Choubatia, P.O-Kojhi Gora Dist- Banka, Bihar, Pincode -813116 के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक–9174 दिनांक 26.08.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध मे।

सकारण आदेश

प्रस्तुत मामला कार्य प्रमंडल, बांका–02 के अधीन निविदा (Tender ID-140510) में फर्जी Bank Credit Facility समर्पित करने के कारण संवेदक Choubatia Construction Private Limted At- Choubatia, P.O-Kojhi Gora Dist- Banka, Bihar, Pincode -813116 को बिहार ठिकेदार निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007 के नियम 11 (क) की उपकंडिका (ix) एवं 11 (ख) की उपकंडिका (ii) में निहित प्रावधान के तहत विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक–9174 दिनांक 26.08.2025 द्वारा अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने से संबंधित है।

संदर्भित मामलें में दिनांक 04.09.2025 को की गयी सुनवाई में संवेदक द्वारा समर्पित अभिलेख एवं इनके पक्ष को सुनने के उपरान्त विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 9644 दिनांक 04.09.2025 द्वारा संदर्भित निविदा के तकनीकी बीड के निष्पादन से संबंधित संचिका एवं कागजात की विस्तृत जॉच पूरी होने तक संवेदक को अगले 02 (दो) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किये जाने संबंधी आदेश को स्थगित रखने का अंतरिम आदेश पारित किया गया।

प्रस्तुत मामलें में तथ्यात्मक विवरणी निम्नवत है:–

1. संवेदक द्वारा समर्पित निविदा में 25% Bank Credit Facility अपलोड किया गया।
2. उक्त निविदा के निष्पादन के क्रम में किसी अन्य संवेदक द्वारा परिवाद दायर करते हुये सूचित किया गया कि संवेदक Choubatia Construction Private Limited द्वारा निविदा में समर्पित Bank Credit Facility फर्जी है।
3. प्राप्त परिवाद के आलोक में क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा संबंधित बैंक से सत्यापित कराते हुये प्रतिवेदित किया गया कि उक्त संवेदक Choubatia Construction Private. Limited का Bank Credit Facility 5% है।

उक्त तथ्यों के आधार पर निविदा निष्पादन करते हुए दिनांक–30.06.2025 को आहूत तकनीकी बीड समिति की कार्यवाही ज्ञापांक 3381 दिनांक 01.07.2025 द्वारा संवेदक Choubatia Construction Private Limted को अयोग्य घोषित किया गया।

सुनवाई के क्रम में संवेदक द्वारा बताया गया कि क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा उनसे जबरन भ्रामक तथ्य समर्पित कराया गया है। तद्‌लोक में संवेदक को निदेश दिया गया कि वे विस्तृत प्रतिवेदन साक्ष्यों सहित समर्पित करे।

उक्त निदेश के आलोक में संवेदक द्वारा पुनः साक्ष्यों सहित विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

P.T.O.

संवेदक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं निविदा से संबंधित अभिलेख के प्रथम दृष्टया अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस मामलें में Choubatia Construction को प्रथम तकनीकी बीड समिति की कार्रवाई दिनांक 27.05.2025 में योग्य घोषित किया गया। तत्पश्चात् Shivmay Construction Ltd द्वारा एक परिवाद Choubatia Construction के विरूद्ध दिनांक 02.06.2025 को दिया गया जिसमें कुल आठ बिन्दु थे। इन आठ बिन्दुओं के संबंध में मुख्यालय से अभियंता प्रमुख के हस्ताक्षर से दिनांक 06.06.2025 को Choubatia Construction को जवाब देने के लिए पत्र दिया गया एवं साथ ही कार्यपालक अभियंता को भी परिवाद के संबंध में जाँच करने का निर्देश दिया गया। Choubatia Construction दिनांक 08.06.2025 को इन आठ बिन्दुओं पर अपना जवाब समर्पित कर दिया गया। उसके बाद संचिका में Shivmay Construction द्वारा दिनांक 02.06.2025 का ही एक दूसरा परिवाद रक्षित है जो अभियंता प्रमुख को संबोधित है, परन्तु यह न तो अभियंता प्रमुख के कार्यालय में दिया गया है एवं न ही इसपर अभियंता प्रमुख कार्यालय से कोई जवाब पूछा गया बल्कि यह परिवाद मात्र एक बिन्दु पर है कि Choubatia Construction द्वारा दिये गये बैंक सर्टिफिकेट उचित प्रपत्र में नहीं है एवं यह गलत है। अतः इसका सत्यापन करना आवश्यक है। इस परिवाद को कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 05.06.2025 को Choubatia Construction को भेजा गया एवं दिनांक 06.06.2025 को Canara Bank को सत्यापन के लिए भेजा गया है।

यह परिवाद पत्र इस कारण से संदिग्ध प्रतीत होता है कि मूल परिवाद के साथ यह बिन्दु अभियंता प्रमुख के कार्यालय में न तो दिया गया एवं न ही इसे अभियंता प्रमुख के द्वारा Choubatia Construction को भेजा गया है। द्वितीयतः जो परिवाद अभियंता प्रमुख के कार्यालय में दिया गया उसके साथ 100/-रू0 का Non-Judicial E-Stamp पर शपथ पत्र है एवं यह Stamp दिनांक 02.06.2025 को ही खरीदा गया है जबकि कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में दिये गये परिवाद के साथ शपथ पत्र पर जिला कोषागार, बाँका का 01.04.2025 को खरीदने की मुहर है तथा इस पर मात्र इसी एक बिन्दु पर परिवाद दिया गया एवं इसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि इस बिन्दु के अलावा Shivmay Construction के द्वारा Choubatia Construction के विरूद्ध कोई और परिवाद दिया गया है। यह प्रतीत होता है कि इसे तकनीकी बीड समिति की कार्यवाही अपलोड होने के पाँच कार्यदिवस की निर्धारित अवधि के बाद बैकडेट में कार्यपालक अभियंता को हाथों हाथ दिया गया।

इस परिवाद के संबंध में बैंक सर्टिफिकेट के सत्यापन में Canara Bank द्वारा अपने पत्रांक 06/2025/08 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, बांका-2 को यह लिखा गया है कि उनके द्वारा दिया गया बैंक सर्टिफिकेट में टंकण भूल है एवं यह 25% की जगह 5% होगा।

Choubatia Construction का कहना है कि कार्यपालक अभियंता द्वारा उन्हें जबरदस्ती इस मामलें में दिनांक 09.06.2025 को एक पत्र लिखवाया गया जिसमें यह लिखवाया गया कि मेरा बैंक सर्टिफिकेट 5% का है जबकि शेष अन्य बिन्दुओं के बारे में उनका जवाब संतोषजनक था एवं निविदा समिति के द्वारा उसे पुनः समीक्षा दिनांक 30.06.2025 में स्वीकार भी कर लिया गया।

यह पत्र कार्यपालक अभियंता के द्वारा खुद से जबरन लिखवाया गया यह इससे भी प्रमाणित होता है कि दिनांक 14.06.2025 को कार्यपालक अभियंता, बांका-2 के द्वारा अपने

Official No-8986915881 के द्वारा Choubatia Construction को HDFC Bank का इसी तरह का लिखा हुआ एक सर्टिफिकेट की प्रति भेजी गयी एवं उसे कहा गया कि इसी लाईन पर वे Canara Bank को लिखवाकर सर्टिफिकेट दे। यह इससे भी प्रमाणित होता है कि Canara Bank द्वारा दिये गये सत्यापन सर्टिफिकेट जिसमें उन्होंने टंकण भूल की बात कही है, वह वाट्सअप पर भेजे गये HDFC Bank के प्रारूप के अनुरूप ही है।

बाद में केवल इसी बिन्दु पर Choubatia Construction को अयोग्य ठहरा दिया गया।

अतः उपरोक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि:-

1. Choubatia Construction को अनावश्यक रूप से दवाब देकर स्वयं गलत सर्टिफिकेट देने की बात को स्वीकार करने पर मजबूर किया गया।
2. Shivmay Construction द्वारा दिये गये परिवाद पत्र को बाद में कार्यपालक अभियंता द्वारा पूर्व तिथि दर्शाते हुये स्वीकार किया गया क्योंकि तब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि Shivmay Construction द्वारा दिये गये मूल परिवाद पत्र के आठों बिन्दुओं से Choubatia Construction अयोग्य घोषित नहीं होगें।
3. इसी प्रकार न केवल Choubatia Construction को कालीकृत करने का आदेश गलत है बल्कि इस पूरी निविदा प्रक्रिया को Vitiate किया गया, जिसके लिये कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बांका-2 पूर्णरूपेण दोषी है।
4. जिस संचिका के अवलोकन से अधोहस्ताक्षरी को यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया को Vitiate किया गया, उसको मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के नोडल पदाधिकारी द्वारा न देखा जाना उनकी भयंकर लापरवाही है। अतः उपरोक्त कागजातों एवं साक्ष्यों के आधार पर निम्नलिखित आदेश दिया जाता है:-

(i) Choubatia Construction pvt.Ltd. को विभागीय सकारण आदेश के ज्ञापांक 9174 दिनांक 26.08.2025 के द्वारा काली सूची में जाने की आदेश को निरस्त करते हुए काली सूची से अंतिम रूप से मुक्त किया जाता है।

(ii) इस मामले में संबद्ध कार्यपालक अभियंता, बांका-2, ग्रामीण कार्य विभाग को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही करने हेतु विभाग के निगरानी शाखा को निदेश दिया जाता है।

(iii) मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के नोडल पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से नोडल के पद से हटाने हेतु विभागीय मंत्री का आदेश प्राप्त करने हेतु संचिका उपस्थापित करने का आदेश दिया जाता है।

(iv) चूँकि यह पूरी निविदा प्रक्रिया Vitiated है। इसलिए इस निविदा के आधार पर निर्गत कार्यादेश को रद्द करते हुए पुर्ननिविदा करने का आदेश दिया जाता है।

तदनुसार सभी संबंधित को सूचित करें।

2/9/2025

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

58

ज्ञापांक--14 / अ0प्र0-14-151 / 2025 9887 / पटना, दिनांक-- 15.9.25

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/09/25

(अभय झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-14 / अ0प्र0-14-151 / 2025 9887 / पटना, दिनांक- 15.9.25

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/09/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-14 / अ0प्र0-14-151 / 2025 9887 / पटना, दिनांक- 15.9.25

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं अभियंता प्रमुख के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15/09/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-14 / अ0प्र0-14-151 / 2025 9887 / पटना, दिनांक- 15.9.25

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव (निगरानी), ग्रामीण कार्य विभाग, पटना / नोडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-06, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/09/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक--14 / अ0प्र0-14-151 / 2025 9887 / पटना, दिनांक 15.9.25

निबंधित

प्रतिलिपि:- संवेदक Choubatia Construction Pvt. Ltd. At- Choubatia, P.O- Kojhi Gora Dist-Banka, Bihar, Pincode-813116 को सूचनार्थ प्रेषित।

15/09/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-14 / अ0प्र0-14-151 / 2025 9887 / पटना, दिनांक- 15.9.25

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/09/25

सरकार के संयुक्त सचिव